



# कार्यालय पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन, कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

**दिनांक-04.08.2024**

**विषय:-थाना राजातालाब पुलिस ने गोवध निवारण अधिनियम में वांछित अभियुक्त लवकुश उर्फ लखन्दर मौर्या को किया गिरफ्तार\***

श्रीमान् पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम, गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन व अपर पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन के पर्यवेक्षण में तथा सहायक पुलिस आयुक्त राजातालाब के कुशल नेतृत्व में दिनांक 03.08.2024 को थाना राजातालाब पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर पुल के नीचे सब्जी मण्डी राजातालाब के पास से मु0अ0सं0 0129/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम में वांछित अभियुक्त लवकुश उर्फ लखन्दर मौर्या पुत्र कल्लू मौर्या, नि0 महगांव, थाना राजातालाब, वाराणसी को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

1. लवकुश उर्फ लखन्दर मौर्या पुत्र कल्लू मौर्या, नि0 महगांव, थाना राजातालाब, वाराणसी उम्र करीब 30 वर्ष।

### **अपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 1308/2017 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना लंका जनपद वाराणसी।
2. मु0अ0सं0 11/22 धारा 419/420/467/468/471 भादवि 3/5ए/5बी/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना पन्नू जनपद सोनभद्र।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-**

1. प्र0नि0 अजीत कुमार वर्मा, थाना राजातालाब, कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 अजब सिंह, थाना राजातालाब, कमिश्नरेट वाराणसी।
3. उ0नि0 अविनाश कुमार सिंह, थाना राजातालाब, कमिश्नरेट वाराणसी।
4. उ0नि0 साकेत पटेल, थाना राजातालाब, कमिश्नरेट वाराणसी।
5. हे0का0 सुरेन्द्र कुमार, थाना राजातालाब, कमिश्नरेट वाराणसी।

**\*सोशल मीडिया सेल\***

**\*पुलिस उपायुक्त\***  
**\*गोमती ज़ोन, कमिश्नरेट वाराणसी\***